HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10623/2025

Prakash S/o Shri Kalu Ram, Aged About 36 Years, Resident Of Javato Ki Dhani, Khokharia, Kaparda District Jodhpur. (At Present Lodged In Central Jail, Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Arjun Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– करवड़, जिला– जोधपुर सिटी पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 150/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 18 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में एक लावारिस वाहन से पुलिस द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में डोडा पोस्त 208.830 किलोग्राम एवं अफीम का दूध 2.075 किलोग्राम बरामद किया गया था। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा उक्त वाहन से एक मोबाइल मय सिम के बरामद किया गया था और उक्त सिम के आधार पर अन्य सहअभियुक्त रामनिवास को प्रकरण में मुलजिम माना गया तथा रामनिवास द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में पूछताछ नोट में यह तथ्य उल्लेखित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त भी उसके साथ था। इस संदर्भ में रामनिवास की पूछताछ नोट के अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत साक्ष्य प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में अभिलेख पर नहीं है। अनुसंधान अधिकारी

RAJASTHAN HIGH COURT

पीडब्ल्यू 2 हरीसिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ''यह कहना सही है कि मेरे अनुसंधान के दौरान अभियुक्त रामनिवास के द्वारा दी गई धारा 27 की इतिला के अतिरिक्त मेरे समक्ष अभियुक्त प्रकाश के विरुद्ध कोई साक्ष्य सामने नहीं आया था।'' उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.04.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिए गए तथ्यों एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह स्पष्ट है कि उक्त मादक पदार्थ एक लावारिस वाहन से बरामद हुआ है और प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में अन्य सहअभियुक्त की सूचना के अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत साक्ष्य नहीं होना संबंधित अनुसंधान अधिकारी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **प्रकाश पुत्र कालूराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त व उसके प्रतिभू के वर्तमान पते सत्यापित करने के उपरांत प्रार्थी/अभियुक्त को अविलम्ब निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः–

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 61